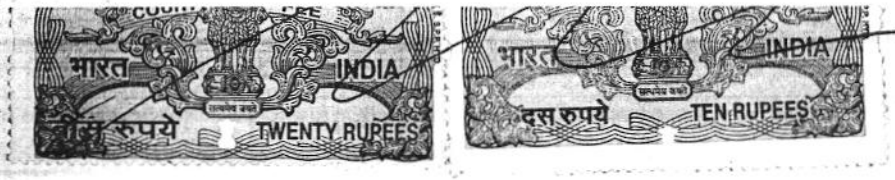

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय भोपाल म0प्र0

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/4899 प्र.क................

श्रीमती अजरा हारून पत्नी श्री मो. अली खान

आयु–वयस्क निवासी– अली निवास,

डी–सेक्टर, के सामने, कोहेफिजा,

भोपाल म0प्र0 --- पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन --- अनावेदक/प्रतिप्रार्थी

पुनरीक्षण धारा 50 भू–राजस्व संहिता

आदेश दिनांक 03.10.17 प्रकरण क. 433/अपील/2013–14 में न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग द्वारा पारित किया गया आदेश से दुखित होकर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जाती है।

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर उक्त आवेदन प्रस्तुत हैः–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4899

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-2-2019	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रश्नाधीन भूमि निजी भूमि होने के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं । व्यवहार न्यायालय ने भी प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय भूमि माना है । अत: स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि, शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि पर निजी व्यक्ति को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दी जा सकती है । इस संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । न्याय दृष्टांत 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।" इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।" उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्षों में इस निगरानी में विचार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	